

फोन : कार्यालय - 0551 - 2340363  
आवास - 0551 -



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

प्रेषक,  
कुलसचिव,  
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर - 273009

पत्रांक.....7009...../सम्बद्धता/2012  
सेवा में,

दिनांक.....14/07/2012

प्रबन्धक,  
सिंगासनी देवी माहेला महाविद्यालय  
नेमा, देवरिया

विषय: स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य एवं स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं भूगोल विषयों में प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 23.12.2011 एवं 04.01.2012 के सम्बन्ध में अवगत कराने कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं भूगोल विषयों में प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है -

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय
1.	डॉ० संजू चतुर्वेदी	प्रवक्ता, भूगोल
2.	श्रीमती आशा देवी	प्रवक्ता, समाजशास्त्र
3.	डॉ० अमित कुमार पाण्डेय	प्रवक्ता, संस्कृत
4.	डॉ० सुभाष चन्द्र	प्रवक्ता, प्राचीन इतिहास
5.	डॉ० अभय नारायण उपाध्याय	प्रवक्ता, राजनीतिशास्त्र
6.	डॉ० अरविन्द मणि	प्रवक्ता, हिन्दी
7.	श्री चन्द्राम्बुज कश्यप	प्रवक्ता, शिक्षाशास्त्र

नोट :- प्राचार्य पद पर चयनित श्री दीनानाथ सिंह, सेवानिवृत्त, प्रवक्ता, बी०एड०, स्वामी देवानन्द डिग्री का मठलार, देवरिया यू०जी०सी० नियमन 2010 के नियम 4.2.0 के अन्तर्गत अर्ह नहीं है।

शर्तें-

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, संविदा की की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय। शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के माध्यम से वेतन का भुगतान किया जाय।

संलग्नक: 1. शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09, मई, 2000 की प्रति।  
2. शासनादेश संख्या: 759/सत्तर-2-2005-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 की प्रति।

D:Subject---/teacherapproval.doc

314

श्रीमती देवी माहेला  
प्रबन्धक/सचिव

सिंगासनी देवी एजुकेशनल सोसाइटी  
नेमा, देवरिया

कुलसचिव

13/7/12

11/7/12